1001900 = 1000

भारतीय गैर न्यायिक

रुपये Rs. 100

100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BN 649848

::समझौता पत्र::

"सबके लिए शिक्षा" (Education for all-E.F.A) योजना के क्रियान्वयन के लिए लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड तथा महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के मध्य त्रि–पक्षीय समझौता आज दिनांक 23/11/2021 भोपाल में निम्नानुसार किया गया–

1. **लोक शिक्षण संचालनालय** –लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर,भोपाल (इसके पश्चात इसे प्रथम पक्ष के रूप में सम्बोधित किया गया है।)
2. **मध्यप्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड** –शिवाजी नगर, भोपाल (इसके पश्चात इसे द्वितीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया गया है।)
3. **महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र.**–(इसके पश्चात इसे तृतीय पक्ष के रूप में सम्बोधित किया गया है।)

निदेशक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
मध्यप्रदेश भोपाल

Director
M.P. State Open School Education Board
Bhopal

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
म. प्र. भोपाल

2912
100
17.11-2021

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल

एवं

म.प्र. राज्य मुक्त शिक्षा परिषद भोपाल

9 महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल

कार्यालय जिला कोषालय
09 SEP 2021
भोपाल

कुमार
विधि

कार्यक्षेत्र

अ–"प्रथम पक्ष"

1. योजना के लिए चिन्हित विद्यालयों में प्रथम पक्ष द्वारा वर्तमान में जारी सभी शासकीय योजनायें लागू रखा जायेगा।
2. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के लिए विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायेगा,जिनमें से स्कूल का चयन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
3. इन विद्यालयों में पद पूर्ति,शिक्षकों/स्टाफ का वेतन, विद्यालय संचालन से संबंधित अन्य वर्तमान में दिये जाने वाले आवर्ती व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।
4. इन स्कूलों का प्रशासकीय नियन्त्रण प्रथम पक्ष के पास ही रहेगा। प्रथम पक्ष द्वारा इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं स्टाफ का स्थानांतरण द्वितीय पक्ष के सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।
5. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की मांग अनुसार यथा संभव शिक्षक एवं स्टाफ उपलब्ध करायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में ऐसे पद जो वर्तमान में स्वीकृत नहीं है, यथा खेल शिक्षक,संगीत शिक्षक,व्यावसायिक शिक्षक, पूर्व प्राथमिक शिक्षक आदि के लिए आउट सोर्सिंग से किया जाने का प्रस्ताव द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत यथा संभव उपलब्ध करायेगा अथवा द्वितीय पक्ष को अनुमति देगा।
7. द्वितीय पक्ष से प्राप्त स्थानांतरण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव पर निर्णय प्रथम पक्ष द्वारा प्राथमिकता से किया जायेगा।

द्वितीय पक्ष–

1. प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची से योजना के क्रियान्वयन के लिए विद्यालयों का चयन करेगा।
2. द्वितीय पक्ष द्वारा चयनित विद्यालयों में अद्योसंरचना के गेप को चिहिन्त कर पूर्ति किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष इन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी वहन करेगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा इन स्कूलों में अद्योसंरचना की पूर्ति के अलावा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण (आवश्यकता अनुसार) की व्यवस्था करेगा एवं इसके लिए इंफास्ट्रेक्चर डेवलप करेगा। योजना समाप्ति पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा निर्मित अद्योसंरचना को प्रथम पक्ष को हस्तांतरित किया जाएगा।
5. कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसके उपरांत आवश्यकता होने पर कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से प्रथम पक्ष के अनुमोदन से द्वितीय पक्ष शुल्क ले सकेगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा नवीन पाठ्यक्रम लागू करने के पूर्व समस्त सक्षम स्वीकृतियां प्राप्त की जायेगी।
7. प्रोजेक्ट अवधि में द्वितीय पक्ष द्वारा देनदारी निर्मित नहीं की जायेगी।

Director
M.P. State Open School Education Board
Bhopal

निदेशक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान
मध्यप्रदेश भोपाल

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
म. प्र. भोपाल

8. इन चयनित विद्यालय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। यदि कतिपय गतिविधियों के संचालन के लिए किसी अन्य संस्थाओं से एम.ओ.यू किया जाना हो तो यह कार्य द्वितीय पक्ष करेगा,परन्तु एम.ओ.यू के पूर्व प्रथम पक्ष से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

तृतीय पक्ष–

1. महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. –द्वितीय पक्ष की मांग पर चयनित विद्यालयों में आवश्यक सहयोग।

सामान्य प्रावधान– इस समझौता पत्र से किसी भी पार्टी पर कोई कानूनी बाध्यता निर्मित नहीं होगी। यह तीनों पक्षों के आपसी विश्वास पर आधारित होगा।

2. वैधता एवं समाप्ति–इस समझौता पत्र की समयावधि हस्ताक्षरित किये जाने से 03 वर्ष की कालावधि होगी। समाप्त न किये जाने की स्थिति में अगले 03 वर्ष के लिए स्वतः निरंतर होगी।
3. विवाद– किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (प्रशासकीय अनुमोदन से)

(के.के.द्विवेदी)	(प्रभात राज तिवारी)	(प्रभात राज तिवारी)
संचालक,	संचालक,	निदेशक,
लोक शिक्षण संचालनालय	मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड	महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान
म.प्र. भोपाल	म.प्र. भोपाल	म.प्र भोपाल

साक्षीः–

1. हस्ताक्षर (राजेश उपाध्याय)
नामः–
पताः– Assistant Director M.P. State Open School Education Board BHOPAL

2. हस्ताक्षर
नामः– विवेकानन्द नामप ल्लीवार
पताः– म.प्र.राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल (म.प्र.)

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल

स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन
शिवाजी नगर, भोपाल - 462011

Phone : 0755-2671066
0755-2552166
Web Site : www.mpsos.nic.in
E-Mail : mpsos@rediffmail.com

क्रमांक/एस.ओ.एस.ई.बी./2021 भोपाल, दिनांक

प्रदेश के जिला स्तर पर स्थित 52 ई.एफ.ए. स्कूलों का संचालन म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रदान किये जाने के सम्बंध में राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (लोक शिक्षण) के मध्य प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत अनुबंध हस्ताक्षर उपरांत आदान प्रदान किया गया। उक्त अवसर पर माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त लोक शिक्षण, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड. उपस्थित रहे।